राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार, पटना
वाद संख्या–15/2024
सीता देवी बनाम् कल्पना देवी।

यह वाद श्रीमती सीता देवी, पति–श्री मोहन कामत, ग्राम–महपुरा, पोस्ट–मैना ग्राम, थाना–महिषी, जिला–**सहरसा** द्वारा श्रीमती कल्पना देवी, पति–दिलीप कुमार राय, ग्राम–भागवतपुर, पोस्ट+थाना–महिषी, जिला–**सहरसा**(वर्तमान पंचायत समिति सदस्य, प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र संख्या–20, प्रखण्ड–महिषी, जिला–**सहरसा**) के विरूद्ध बिहार पंचायत राज अधिनियम–2006 की धारा–135–सह–पठित धारा–136(2) के तहत गलत जाति प्रमाण–पत्र के आधार पर आरक्षण का लाभ लेते हुए, पंचायत समिति सदस्य(प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र संख्या–20, प्रखण्ड–महिषी, जिला–**सहरसा**) के पद से हटाने हेतु लाया गया है।

2. वाद की सुनवाई के क्रम में वादी श्रीमती सीता देवी का पक्ष उनके विद्वान अधिवक्ता श्री मोहन कामत द्वारा आयोग के समक्ष रखा गया, जबकि प्रतिवादी श्रीमती कल्पना देवी की ओर से उनका पक्ष विद्वान अधिवक्ता श्री विजय कुमार मुकुल, श्री प्रसून कुमार एवं श्री सूरज कुमार द्वारा रखा गया। सुनवाई के क्रम में जिला निर्वाचन पदाधिकारी(पंचायत)–सह–जिला पदाधिकारी, **सहरसा** द्वारा अभिलेखों के सत्यापन को उपलब्ध कराने एवं जिला प्रशासन का पक्ष रखने हेतु श्री धीरज कुमार, वरीय उप समाहर्त्ता, श्री संजीव कुमार, जिला पंचायत राज पदाधिकारी, **सहरसा** तथा श्री सावन, भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, **सहरसा** को प्राधिकृत किया गया।

3. वादी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा आयोग को बताया गया कि प्रतिवादी "**कुर्मी**" जाति की सदस्य हैं। इनके द्वारा जालसाजी कर "**धानुक**" जाति का प्रमाण–पत्र प्राप्त कर अत्यंत पिछड़ा वर्ग(अनुसूची–01) हेतु आरक्षित पंचायत समिति सदस्य के पद पर निर्वाचन में विजय प्राप्त कर ली गयी है। उनके द्वारा आयोग को यह बताया गया कि सरकार के द्वारा जारी दिशा–निर्देश एवं परिपत्र के अनुसार विवाहित महिला का जाति प्रमाण–पत्र उसके मायके(पिता के निवास स्थल) से निर्गत किया जाना है, परन्तु इनके द्वारा जालसाजी हेतु अपने ससुराल सहरसा से ही जाति प्रमाण–पत्र निर्गत करा लिया गया है, जबकि इनके पिता का घर समस्तीपुर जिला में अवस्थित है।

4. प्रतिवादी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा उनके दावें का खण्डन किया गया तथा आयोग को बताया गया कि विगत् 50 वर्षों से उनके मुवक्किल के पिता एवं घर के अन्य सदस्य स्थायी रूप से सहरसा जिला में निवास करते हैं। यह सत्य है कि उनके पूर्वज समस्तीपुर जिला के निवासी थे, परन्तु 50 वर्षों से भी अधिक समय से वे सभी सहरसा जिला के स्थायी निवासी है। उनके द्वारा आयोग को बताया गया कि उनके द्वारा दायर किये गये जवाब में उनके मुवक्किल की वंशावली, उनके पूर्वजों का सत्त खतियान, उनके भाई का जाति प्रमाण–पत्र तथा दो कैवाला संलग्न है, जिससे प्रमाणित होता है कि उनके रक्त संबंधी/पूर्वज "**धानुक**" जाति के सदस्य है। उनके द्वरा आयोग को बताया गया कि दोनों कैवाला काफी प्राचीन है, जिसमें एक सन् 1965 एवं एक सन् 1983 में Execute है।

5. जिला निर्वाचन पदाधिकारी(पंचायत)–सह–जिला पदाधिकारी, सहरसा द्वारा भी प्रतिवादी के संबंध में कोई ठोस साक्ष्य या प्रमाण उपलब्ध नहीं कराया गया, जिससे या तो वादी के दावें की पुष्टि होती हो, अथवा प्रतिवादी के दावें की पुष्टि होती हो।

आयोग द्वारा पाया गया कि मामला प्रतिवादी की जाति से संबंधित है, परन्तु वादी के अभिलेख एवं दावें तथा प्रतिवादी के अभिलेख एवं दावें या जिला प्रशासन के प्रतिवेदन से या निर्विवाद रूप से स्थापित नहीं हो पा रहा था कि श्रीमती कल्पना देवी की जाति **''कुर्मी''** है अथवा **''धानुक''**। अतः वाद के निस्तारण हेतु प्रतिवादी के जाति का विनिश्चय निर्विवाद रूप से किया जाना आवश्यक होने के साथ ही साथ उनके पक्ष में निर्गत जाति प्रमाण–पत्र की वैधता की जाँच भी आवश्यक है, क्योंकि यह सरकार के निर्देशों के विरूद्ध प्रतिवादी के मायके के स्थान पर ससुराल से निर्गत है।

उक्त के आलोक में बिहार सरकार सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के संकल्प ज्ञापांक–1567, दिनांक–05.02.2014 तथा माननीय उच्च न्यायालय, पटना के द्वारा C.W.J.C. No.19084/2021, बैजनाथ सिंह बनाम् बिहार सरकार एवं अन्य मामलें में दिनांक–21.06.2022 को पारित न्याय–निर्णय के आलोक में अत्यन्त पिछड़ा वर्ग के जाति प्रमाण–पत्रों के जाँच हेतु गठित कास्ट स्क्रुटनी कमिटि(निदेशालय) को निर्धारित समयावधि में आवश्यक कार्रवाई हेतु मामलें को संदर्भित किया गया।

6. राज्य स्तरीय कास्ट स्क्रुटनी कमिटि(निदेशालय) द्वारा पत्र संख्या–11/आ0जा0–11/2024 सा0प्र0–1071, पटना–15, दिनांक–20.01.2025 द्वारा प्रतिवेदन उपलब्ध कराया गया, जिसका प्रभावकारी अंश प्रतिवेदन के पारा–04 एवं पारा–05 में अंकित है, जो निम्नवत् हैः–

''(4) उल्लेखनीय है कि सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के संकल्प संख्या–1567, दिनांक–05.02.2014, माननीय सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा कुमारी माधुरी पाटिल केस में पारित आदेश के आलोक में निर्गत है, जिसके अन्तर्गत अत्यन्त पिछड़ा वर्ग, पिछड़ा वर्ग एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के जाति प्रमाण–पत्र की जाँच हेतु एक निदेशालय का गठन किया गया है तथा एतद संबंधी जाँच की प्रक्रिया निर्धारित की गई है। इस संकल्प की कंडिका–4(ख) में अंकित प्रावधान निम्नवत् हैः–

''ऐसे प्रकरणों, जहाँ सतर्कता अधिकारी की 'रिपोर्ट' (प्रमाण–पत्र धारक) के पक्ष में हो तो समिति को किसी कार्रवाई की आवश्यकता नहीं होगी।

''(5) प्रश्नगत मामला सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के संकल्प संख्या–1567, दिनांक–05.02.2014, की कंडिका–4(ख) के प्रावधानों के अनुरूप है। अतएव उपुर्यक्त वर्णित प्रावधानों के आलोक में अपराध अनुसंधान विभाग द्वारा समर्पित प्रतिवेदन से सहमत होते हुए, श्रीमती कल्पना देवी, पति–श्री दिलीप कुमार राय, ग्राम–भागवानपुर, पोस्ट+थाना–महिषी, जिला–सहरसा की जाति **''धानुक'' (अत्यन्त पिछड़ा वर्ग)** विनिश्चित की जाती है।''

7. राज्य स्तरीय कास्ट स्क्रुटनी कमिटि(निदेशालय) से प्राप्त उक्त प्रतिवेदन पर वादी एवं प्रतिवादी का पक्ष जानने हेतु आयोग द्वारा उभयपक्षों अवसर प्रदान किया गया, जिसका सार निम्नवत् है:–

वादी के विद्वान अधिवक्ता श्री मोहन कामत अपने पुराने तर्कों को दुहराया गया तथा पुनः अपने सभी पुराने अभिलेखों का अवलोकन कराया गया तथा दावा किया गया कि राज्य स्तरीय कास्ट स्क्रुटनी कमिटि(निदेशालय) का प्रतिवेदन सही नहीं है। उनके द्वारा पुनः यह दावा किया गया कि प्रतिवादी की जाति ''कुर्मी'' है, न कि ''धानुक''। अतः आयोग को प्रतिवादी को पदमुक्त करते हुए, जालसाजी हेतु मुकदमा दायर करना चाहिए।

प्रतिवादी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा उनके उक्त तर्कों का खण्डन किया गया तथा आयोग को बताया गया कि वादी अपने पुराने तर्कों को दुहरा रहे हैं, इनके साक्ष्य भी पुराने है, जिसका संज्ञान कर आयोग द्वारा मामले को राज्य स्तरीय कास्ट स्क्रुटनी कमिटि(निदेशालय) को भेजा गया था निदेशालय का प्रतिवेदन उनके पक्ष में आया है। ऐसी स्थिति में यदि वादी को उक्त प्रतिवेदन में संतुष्टि नहीं है, तो उन्हें माननीय उच्च न्यायालय, पटना में अपने साक्ष्यों के साथ इसे चुनौती देनी चाहिए, क्योंकि राज्य स्तरीय कास्ट स्क्रुटनी कमिटि (निदेशालय) के प्रतिवेदन के विरूद्ध माननीय उच्च न्यायालय, पटना अपीलीय न्यायालय है। रजनी कुमारी वाद के आलोक में राज्य स्तरीय कास्ट स्क्रुटनी कमिटि (निदेशालय) का प्रतिवेदन आयोग के लिए बाध्यकारी है। अतः वाद को खारिज किया जाना चाहिए।

8. आयोग द्वारा विद्वान अधिवक्ताओं के द्वारा उपलब्ध कराये गयें अभिलेखों /तर्कों तथा राज्य स्तरीय कास्ट स्क्रुटनी कमिटि (निदेशालय) का निर्णय तथा संदर्भित न्याय–निर्णयों का अवलोकर किया गया। उपलब्ध साक्ष्यों/अभिलेखों एवं विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा दिए गए तर्कों के आलोक में आयोग का इस वाद के संबंध में मत निम्नवत है :–

''आयोग द्वारा यह पाया गया कि इस वाद का मूल कारण वादी का यह दावा है कि श्रीमती कल्पना देवी, पति–दिलीप कुमार राय, ग्राम–भागवतपुर, पोस्ट + थाना– महिषी, जिला–सहरसा (वर्तमान पंचायत समिति सदस्य, प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र संख्या–20, प्रखंड– महिषी, जिला–सहरसा) द्वारा पिछड़ा वर्ग अनुसूची–02 का सदस्य होने के बावजूद पिछड़ा वर्ग अनुसूची–01 हेतु आरक्षित पंचायत समिति सदस्य के पद पर बिहार पंचायत राज अधिनियम की धारा–135 का उल्लंघन कर प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र संख्या–20, प्रखंड–महिषी, जिला–सहरसा के पंचायत समिति सदस्य के पद पर निर्वाचित होने से संबंधित है।''

विचाराधीन वाद में राज्य स्तरीय कास्ट स्क्रुटनी कमिटी (निदेशालय) का निर्णय प्राप्त है, जिसके अनुसार श्रीमती कल्पना देवी, पति–दिलीप कुमार राय, ग्राम–भागवतपुर, पोस्ट + थाना–महिषी, जिला–सहरसा (वर्तमान पंचायत समिति सदस्य, प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र संख्या–20, प्रखंड–महिषी, जिला–सहरसा की जाति **''धानुक'' (अत्यंत पिछड़ा वर्ग)**) विनिश्चत की गई है।

रजनी कुमारी बनाम् राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार एवं अन्य (L.P.A No. 566/2017) मामले में माननीय उच्च न्यायालय, पटना के पूर्णपीठ द्वारा दिनांक– 17.09.2019 को पारित न्याय–निर्णय

के आलोक में ऐसे मामलो में जाति निर्धारण हेतु Apex Fact Finding Body राज्य स्तरीय कास्ट स्क्रुटनी कमिटी (निदेशालय) के निर्णय के आलोक में ही आयोग को वाद का निस्तारण करना है। अतः आयोग प्रतिवादी के तर्कों से सहमत है कि जाति के मामले में राज्य के Apex Fact Finding Body का निर्णय प्राप्त है, तो उसी के अनुरूप कार्रवाई की जानी चाहिए।

उल्लेखनीय है कि रजनी कुमारी बनाम् राज्य निर्वाचन आयोग वाद में पूर्णपीठ द्वारा आयोग के समक्ष आने वाले मामलों को साक्ष्यों के आधार पर दो खण्डों में विभक्त किया गया हैः– प्रथमतः वैसे मामले हैं, जो Unimpeachable साक्ष्यों पर आधारित हो, तो ऐसे मामलों के त्वरित निष्पादन या निर्णय पर कोई पाबंदी नहीं है। द्वितीयतः वैसे मामले है, जो Disputed Fact (Impeachable) पर आधारित हो, तो ऐसे मामलो में आयोग सक्षम न्यायालय/प्राधिकार/Fact Finding Body के निर्णय/प्रतिवेदन के उपरांत कार्रवाई करेगा। यहाँ ध्यान देने योग्य तथ्य यह है कि दूसरे प्रकार के मामलों में आयोग स्तर से कार्रवाई पर रोक सक्षम न्यायालय/प्राधिकार/Fact Finding Body के निर्णय/प्रतिवेदन प्राप्त होने तक ही है। संगत अंश का पाठ निम्नरूपेण हैः–

"Whenever a disputed question of facts and a contentious issue is brouth before the Commission as a ground and basis to render a candidate disqualified, the Commission would be required to relegate the parties to a competent court/tribunal or a fact finding body competent to decide such contentious issues after taking evidences and till such time the Commission shall not take a decision on such complaint either suo-moto or otherwise.: (पेज – 217 पारा–01) यहाँ till such time निर्णायक निदर्श बिन्दु (Index Point) है।

इस आदेश के साथ इस वाद को निष्पादित किया जाता है।

सभी संबंधित को सूचित कर दिया जाए।

अद्योहस्ताक्षरी द्वारा लेखापित एवं संशोधित।

ह0/–
(डॉ0 दीपक प्रसाद)
19.12.2025
राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार।

ह0/–
(डॉ0 दीपक प्रसाद)
19.12.2025
राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार।

ज्ञापांकः–15/2024,4607 पटना, दिनांकः– 19.12.25

प्रतिलिपि–जिला निर्वाचन पदाधिकारी(पंचायत)–सह–जिला पदाधिकारी, **सहरसा** /जिला पंचायत राज पदाधिकारी, **सहरसा** को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। जिला पंचायत राज पदाधिकारी, **सहरसा** को आदेश दिया जाता है कि आदेश की प्रति का तामिला वादी एवं प्रतिवादी को 24 घंटे के अन्दर कराते हुए तामिला प्रतिवेदन लौटती डाक/ई–मेल से उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाए।

19/12/25
विशेष कार्य पदाधिकारी

ज्ञापांकः–15/2024, 4607 पटना, दिनांकः– 19.12.25

प्रतिलिपि– श्रीमती सीता देवी, पति–श्री मोहन कामत, ग्राम–महपुरा, पोस्ट–मैना ग्राम, थाना–महिषी, जिला–**सहरसा** एवं श्रीमती कल्पना देवी, पति–दिलीप कुमार राय, ग्राम–भागवतपुर, पोस्ट+थाना–महिषी, जिला–**सहरसा** (वर्तमान पंचायत समिति सदस्य, प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र संख्या–20, प्रखण्ड–महिषी, जिला–**सहरसा**) को सूचनार्थ प्रेषित।

19/12/25
विशेष कार्य पदाधिकारी

ज्ञापांकः–15 / 2024, 4607 पटना, दिनांकः– 19.12.25

प्रतिलिपि–श्री नीतीश कुमार, आई0टी0मैनेजर, राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

19/12/25

विशेष कार्य पदाधिकारी